

प्रति,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल कॉम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
प्रतापगढ़/आजमगढ़/अलीगढ़/शाहजहाँपुर/ललितपुर/सहारनपुर, लखनऊ।

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36-4/2013-14/9165-7 दिनांक: 12.08.2013  
विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, के अन्तर्गत स्थापित की गयी एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एस0एन0सी0यू0/36-3/2012-13/704-2 दिनांक: 12.7.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 7 जनपदों के महिला चिकित्सालयों में "गंभीर नवजात शिशु उपचार इकाई" (Sick Newborn Care Unit) की स्थापना कर क्रियाशील बनाये रखने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:-

Districts wise Break-up of Funds for SNCUs ( Financial Year 2013-14)							
S.N o. Dist t.	Name of Districts	Operational Cost	Human Resource				Total funds (Rs. in lac)
			Ped./DCH		Staff Nurses		
			No.	Amt. @ Rs.48,000/-pm for 6 months	No.	Amt. @ Rs.16,500/- pm for 6 months	
FMR Code No.	A.2.2.1	A.8.1.3.5.d		A.8.1.1.2.f			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aligarh DWH	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
2	Azamgarh DWH	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
3	Lalitpur	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
4	Lko Awanti Bai	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
5	Pratapgarh DWH	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
6	Saharanpur	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
7	Shahjahanpur	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
Total		70.00	21	60.48	42	41.58	172.06

### वित्त पोषण

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये दी गयी तालिका के कॉलम सं0 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा आपरेशनल कॉस्ट में ए0एम0सी0 एवं औषधियों,कन्स्यूमेबिल हेतु कुल रू0 10.00 लाख प्रति इकाई तथा तालिका में कॉलम सं0 5 में बाल रोग विशेषज्ञों के लिये तथा कॉलम सं0 7 में स्टाफ नर्स हेतु 6 माह की धनराशि स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार द्वारा 2013-14 के लिये आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु संविदा पर तैनात कर्मियों हेतु मद संख्या A.8.1.3.5.d में बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय में

रु0 48,000/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिये (केवल एम0डी0-पिडियाट्रिक्स/डी0सी0एच0 पर लागू होगा, अन्य किसी विशेषज्ञता के चिकित्सक के लिये नहीं है) मद सख्यां A.8.1.1.2.f में 6 स्टाफ नर्सों के मानदेय में रु0 16,500/- प्रतिमाह की दर 6 माह के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

माह सितम्बर के उपरान्त एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता एवं संविदा पर तैनात कर्मियों के कार्य की समीक्षा की जायेगी तदनुसार भारत सरकार से द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की माँग की जायेगी तथा द्वितीय किस्त स्वीकृत होने के उपरान्त जनपदवार इकाईयों को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिला महिला चिकित्सालय को एस0एन0सी0यू0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Committed रूप में है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, माँग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोट:-

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. वर्ष 2013-14 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार ने Key issues and Guiding Principles में दिये गये बिन्दु सं0 12 पर जो व्यख्या दी गयी है उसका सावधानी एवं सतर्कता पूर्ण अनुपालन किया जाय।

**Point No.12-** " The state must ensure due diligence in expenditure and observe, in letter and spirit, all rules, regulations, and procedures to maintain financial discipline and integrity particularly with regard to procurement; competitive bidding must be ensured and only need-based procurement should take place. "

4. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराये।
5. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

मानव संसाधन

1. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।
2. संविदा कर्मियों स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशियन को 4 दिन का फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर प्रशिक्षण तदुपरान्त 15 दिन का कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण स्टाफनर्स एवं पीडियाट्रीशियन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये

प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफनर्स एवं पीडियाट्रीशियन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

3. सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।
4. भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 2013-14 में 8 स्टाफ नर्स का अनुमोदन प्रदान किया है। प्रथम चरण में 6 स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत किये जा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा Rational Deployment of Human resource पर विशेष बल दिया है। जनपद की इकाई के परफॉरमेंस एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा मिशन निदेशक एन0आर0एच0एम0 से अतिरिक्त स्टाफ नर्सों की आवश्यकता के लिये मांग करने पर, भारत सरकार से स्वीकृत पद की सीमा तक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।


### कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित नवीन प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें कि एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

### संलग्नक--यथोक्त

भवदीय,

  
(अनंत कुमार घोष)  
मिशन निदेशक  
दिनांक: .07.2013

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36-4 / 2013-14 /

प्रतिलिपि समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ / प्रतापगढ़ / आजमगढ़ / अलीगढ़ / शाहजहाँपुर / ललितपुर / सहारनपुर।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ / इलाहाबाद / आजमगढ़ / अलीगढ़ / बरेली / बुन्देलखण्ड / सहारनपुर।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ / आजमगढ़ / अलीगढ़ / शाहजहाँपुर / ललितपुर / सहारनपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय, गोलामंज, लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई।

(डा0 काजल)

अपर मिशन निदेशक

## Report of Sick Newborn Care Unit (SNCU) in Uttar Pradesh

### Reporting Format of SNCU DWH/Medical College

Name of District/Medical College		Reporting month	
Since when SNCU is functional (month/year)			
No. of beds		Bed occupancy rate	
1	Total No. of Doctors working	Doctors - Regular	Doctors - Contractual
2	Total No. of Staff Nurses working	Staff Nurses - Regular	Staff Nurses - Contractual
3	Whether required medicines and consumables are available?	Yes/No	

**Information regarding children admitted in SNCU**

Details of Newborn	Admission in the Unit		Birth weight / weight at admission**		Gestation		Morbidity Profile																															
	Male	Female	>2500 gm	1500-2499 gm	1000-1499 gm	<1000 gm	>37 weeks	34-37 weeks	<34 weeks	Respiratory Distress syndrome	Meconium aspiration syndrome	Other causes of respiratory distress	HIE / Moderate-Severe Birth Asphyxia	Sepsis/ Pneumonia/Meningitis	Major Congenital Malformation	Jaundice requiring phototherapy	Hypothermia	Hypoglycemia	Others																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Reporting Month																																						
Progressive																																						

**Birth weight / weight at admission \*\* (Inborn - Record the birth weight/ Extra-mural - Record birth weight if available; if it is not available, record and report weight at admission)**

Details of Newborn	Management (no. of babies who received )		Outcome						Duration of stay																																	
	Phototherapy	Antibiotics	Oxygen	Discharge	Referral	LAMA	Died	< 1 day	1-3 day	4-7 day	> 7 days	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn	Inborn	Outborn																					
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62																				
Reporting Month																																										
Progressive																																										

### Report of Sick Newborn Care Unit (SNCU) in Uttar Pradesh

Whether these equipment are functional?		Yes - 1, No - 0	
i	Servo controlled Radiant Warmers	viii	Neonatal laryngoscope
ii	Pulse Oxymeter with neonatal probe	ix	Suction pump
iii	Double outlet oxygen concentrator	x	Oxygen hood
iv	Phototherapy units	xi	Basic Surgical Instruments
v	Syringe infusion pump	xii	Steam sterilizer
vi	Pediatric stethoscope	xiii	Measuring tape
vii	Resuscitator	xiv	Nebulizer

Death information	Duration between the time of admission & death												Age at death																			
	< 1 day		1-3 day		4-7 day		> 7 days		< 1 day		1-6 days		≥ 7 days																			
Response Category	Cause not established												Cause not established																			
	Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn	
Type of Admission	Respiratory Distress syndrome		Meconium aspiration syndrome		HIE / Moderate-Severe Birth Asphyxia		Sepsis/ Pneumonia/ Meningitis		Major Congenital Malformation		Prematurity		Others		Cause not established																	
63	Inborn	Outborn	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
Reporting Month																																
Progressive																																

Death information	Birth weight / weight at the time of death												Gestation																			
	> 2500 gm		1500-2499 gm		1000-1499 gm		< 1000 gm		Term		Preterm		Post term																			
Response Category	Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn		Inborn		Outborn	
	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108																		
94																																
Reporting Month																																
Progressive																																

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
विशाल कॉम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
प्रतापगढ़/आजमगढ़/अलीगढ़/शाहजहाँपुर/ललितपुर/सहारनपुर, लखनऊ।

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36-4/2013-14/

दिनांक: 12.08.2013

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, के अन्तर्गत स्थापित की गयी एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एस0एन0सी0यू0/36-3/2012-13/704-2 दिनांक: 12.7.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 7 जनपदों के महिला चिकित्सालयों में "गंभीर नवजात शिशु उपचार इकाई" (Sick Newborn Care Unit) की स्थापना कर क्रियाशील बनाये रखने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को स्थापित कर क्रियाशील किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं:-

Districts wise Break-up of Funds for SNCUs ( Financial Year 2013-14)							
S.N o. Dist t.	Name of Districts	Operational Cost	Human Resource				Total funds (Rs. in lac)
			Ped./DCH		Staff Nurses		
			No.	Amt. @ Rs.48,000/-pm for 6 months	No.	Amt. @ Rs.16,500/- pm for 6 months	
FMR Code No.	A.2.2.1	A.8.1.3.5.d		A.8.1.1.2.f			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aligarh DWH	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
2	Azamgarh DWH	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
3	Lalitpur	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
4	Lko Awanti Bai	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
5	Pratapgarh DWH	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
6	Saharanpur	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
7	Shahjahanpur	10.00	3	8.64	6	5.94	24.58
Total		70.00	21	60.48	42	41.58	172.06

### वित्त पोषण

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये दी गयी तालिका के कॉलम सं0 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा आपरेशनल कॉस्ट में ए0एम0सी0 एवं औषधियों,कन्स्यूमेबिल हेतु कुल रू0 10.00 लाख प्रति इकाई तथा तालिका में कॉलम सं0 5 में बाल रोग विशेषज्ञों के लिये तथा कॉलम सं0 7 में स्टाफ नर्स हेतु 6 माह की धनराशि स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार द्वारा 2013-14 के लिये आर0ओ0पी0 में एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने हेतु संविदा पर तैनात कर्मियों हेतु मद संख्या A.8.1.3.5.d में बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय में

रु0 48,000 /- प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिये (केवल एम0डी0-पिडियाट्रिक्स / डी0सी0एच0 पर लागू होगा, अन्य किसी विशेषज्ञता के चिकित्सक के लिये नहीं है) मद सख्यां A.8.1.1.2.f में 6 स्टाफ नर्सों के मानदेय में रु0 16,500 /- प्रतिमाह की दर 6 माह के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

माह सितम्बर के उपरान्त एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता एवं संविदा पर तैनात कर्मियों के कार्य की समीक्षा की जायेगी तदनुसार भारत सरकार से द्वितीय किस्त हेतु धनराशि की माँग की जायेगी तथा द्वितीय किस्त स्वीकृत होने के उपरान्त जनपदवार इकाईयों को धनराशि अवमुक्त की जायेगी। भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिला महिला चिकित्सालय को एस0एन0सी0यू0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Committed रूप में है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, माँग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोट:-

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय निश्चयानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. वर्ष 2013-14 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार ने Key issues and Guiding Principles में दिये गये बिन्दु सं0 12 पर जो व्याख्या दी गयी है उसका सावधानी एवं सतर्कता पूर्ण अनुपालन किया जाय।

**Point No.12-** " The state must ensure due diligence in expenditure and observe, in letter and spirit, all rules, regulations, and procedures to maintain financial discipline and integrity particularly with regard to procurement; competitive bidding must be ensured and only need-based procurement should take place. "

4. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराये।
5. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

मानव संसाधन

1. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।
2. संविदा कर्मियों स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशियन को 4 दिन का फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर प्रशिक्षण तदोपरान्त 15 दिन का कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण स्टाफनर्स एवं पीडियाट्रीशियन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये

प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफनर्स एवं पीडियाट्रीशियन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

3. सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।
4. भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 2013-14 में 8 स्टाफ नर्स का अनुमोदन प्रदान किया है। प्रथम चरण में 6 स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत किये जा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा Rational Deployment of Human resource पर विशेष बल दिया है। जनपद की इकाई के परफॉरमेन्स एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा मिशन निदेशक एन0एन0सी0यू0 से अतिरिक्त स्टाफ नर्सों की आवश्यकता के लिये मांग करने पर, भारत सरकार से स्वीकृत पद की सीमा तक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

### कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित नवीन प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें कि एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)

मिशन निदेशक

दिनांक: 12.08.2013

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36-4/2013-14/2165-7-6

प्रतिलिपि समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ/प्रतापगढ़/आजमगढ़/अलीगढ़/शाहजहाँपुर/ललितपुर/सहारनपुर।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एस0एन0सी0यू0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ/इलाहाबाद/आजमगढ़/अलीगढ़/बरेली/बुन्देलखण्ड/सहारनपुर।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़/आजमगढ़/अलीगढ़/शाहजहाँपुर/ललितपुर/सहारनपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय, गोलागंज, लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई।

(डा० काजल)

अपर मिशन निदेशक